संख्या– 353 /XXVIII(2)/2018-05(पैरा0)/2016

प्रेषक,

अरुणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 08 अगस्त, 2018

विषय– पैरामेडिकल संस्थान, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एवं एलाइड हैल्थ साइन्सेज, मदरहुड यूनिवर्सिटी, ग्राम करौंदी, भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम बी0एम0एस0टी0, बी0एम0आर0आई0टी0 तथा बी0पी0टी0 के शैक्षणिक सत्र 2016–17 से सम्बद्धित करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–186/XXVIII(2)/2018-13(पैरा0)/2016 दिनांक–17 मार्च, 2018 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–18 से पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्रस्तावित संस्थान सहित कुल नौ (09) निजी पैरामेडिकल संस्थानों को कतिपय प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की गयी (छायाप्रति संलग्न), किन्तु सम्बन्धित संस्थान द्वारा बिना शासन की अनुमति प्राप्त किये उक्त पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2018 से छात्रों को प्रवेश दिये जाने की स्थिति शासन के संज्ञान में लायी गयी। इस संदर्भ में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा के प्रस्ताव संख्या–2199/चि0शि0/20/2017 दिनांक–26 मई, 2018 को क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एवं एलाइड हैल्थ साइन्सेज, मदरहुड यूनिवर्सिटी, ग्राम करौंदी, भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम बी0एम0एस0टी0, बी0एम0आर0आई0टी0 तथा बी0पी0टी0 के संचालन की शैक्षिक सत्र 2016–17 से अनापत्ति शासनादेश संख्या–186/XXVIII(2)/2018-13(पैरा0)/2016 दिनांक–17 मार्च, 2018 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन छात्र हित में प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति इस शर्त के साथ की जाती है कि इसे भविष्य के लिए नजीर न माना जाय। उक्त शासनादेश दिनांक–17.03.2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।